of the expenditure in a particular year could be reduced, as a result that there might have been some cases where certain slow progress of works is noticed. Whatever it is, the programmes, as have been sanctioned, will be completed, and doubling of lines or some other kinds of works will be completed as soon as possible.

Reference also was made to overcrowding and passenger amenities, and then track extensions speeding up of railways, avoiding delays, and such other things which would receive constant attention of the Railway Administration and, I hope, in due course of time, the railway authorities will be able to give a better account of the functioning of the railways.

The other suggestions which have been made will be examined and the Railway Board will take necessary action to go into all these proposals in great detail and take such necessary action as would be feasible according to the resources that would be made available.

With these words, Madam, I commend for the acceptance of the House the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1967

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1967-68 for the purposes of Railways, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI C. M. POONACHA: I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next item

श्री राजनारायण : मैं एक चीज पेश कर रहा हूं । यहां से सरदार स्वर्ण सिंह जी के जाने के बाद भी हमने उनसे पूरी बात की । मैं आपको सिर्फ नोटिस देना हूं कुछ नहीं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न है उन्होंने जानबूझकर भारत के जो सैनिक मारे गये हैं उसके बारे में गलत बयानी की है और सदन को गुमराह किया है ।

MOTION *RE* ANNULMENT OF THE POLICE FORCES (RESTRICTION OF RIGHTS) RULES, 1966.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : मैडम डिप्टी चेयरमैन आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव उपस्थित कर रहा हूं :

"पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम 1966 की धारा 6 की उपधारा (2) के अनुसार यह सभा संकल्प करती है कि पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) नियम 1966 जो गृह-कार्य मंत्रालय की अधिसूचना (जी० एस० आर० नं० 1892) दिनांक 12 दिसम्बर 1966 के साथ भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे और 7 अप्रैल 1967 को इस सभा के पटल पर रखे गये थे, रद्द कर दिया जाये ।

यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट करे ।"

†["That in pursuance of sub-section (2) of section 6 of the Police Forces (Restriction of Rights) Act, 1966,

†[English translation]

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

this House resolves that the Police Forces (Restriction of Rights) Rules, 1966, published in the Gazette of India with the Ministry of Home Affairs Notification (G. S. R. No. 1892), dated the 12th December, 1966 and laid on the Table of this House on the 7th April, 1967, be annulled.

This House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do concur in this motion."]

मैडम, मेरे इस प्रस्ताव का दायरा कुछ सीमित है। हमने पिछले साल जो पुलिस फोर्सेज रेस्ट्रिक्शन आफ राइट्स बिल यहां पास किया वह विवादास्पद बिल था और उस बिल के अनुसार कानून के अंतर्गत जो नियम बनने थे उनको संसद के समक्ष रखने की व्यवस्था है। उसी के अनुसार सरकार ने जो नियम बनाये है वे सब सदन के सम्मुख रखे गये। इन नयमों को मैंने रद्द करने के प्रस्ताव किया है। इसका मतलब यह नहीं है, मैं यह नहीं कहता कि किसी भी प्रकार के नियम न बनाये जाय। लेकिन मेरा रद्द करने का प्रस्ताव इस आधार पर है कि इस कानून को पास करते समय मंत्री महोदय की तरफ से जो आश्वासन दिये गये, इस कानून के अधिकारों का निर्धारण करते समय जिन बातो, जिन हितों की रक्षा करने की बात कहीं गई, यह आवश्यक है कि नियमों का गठन करते समय उन बातों का ध्यान ठीक प्रकार से रखा जाय। श्री हाथी ने यह कानून बनाने का, विधेयक बनाने का प्रस्ताव हमारे इस सदन में रखा था। मैं उन्हीं के शब्दों को, कुछ उसमें से हिस्से यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा, जिससे कि इस कानून को रखते समय और इस कानून को पास करते समय जो हमारी मंशाएं रहीं, वे हम सब लोगों के सामने उपस्थिति हो जाय। उन्होने कहा : "It cannot be a trade union." उन्होंने यह भी कहा : "They cannot have any political association with any policial body." मैं इन दोनों चीजो से सहमत। उन्ह ने उसके बाद सारी डिबेट का जवाब देते समय यह आशवासन दिया कि :

"We do not want that they should be deprived the right of placing their case before the Government in a body." यह उन्होंने कहा। उन्होंने जो इन सारी चीजों में रेस्ट्रिक्शन रखे, एक नटशैल में उन्होंने स्वयं उसको समराइज करने की कोशिश की :

"It should not be a political union. It should not be a labour union. There should be no outsiders union. It should not be trade union. They should not go on strike."

यह चीजें हैं, जो उन्होंने कहा कि इस सारे काम को करने में, ऐसे ऐसे मामले में यह पाबंदियां रहनी चाहियें। अब जो कानून के अंतर्गत सारे नियम बनाये गये है, पहले नियम 12 दिसम्बर के गजट में प्रकाशित किये गये थे। उन नियमों में भी मुझे बताया गया है कि 14 अप्रैल को भी एक संशोधन उपस्थित हुआ। उसमें कहा गया है कि मीटिंग्ज और डिमान्स्ट्रेशन में पुलिस फोर्स का आदमी भाग न ले और उसके पीछे कुछ परपजेज दिये हैं कि वह ऐक्ट को या रूल्स को चैलेन्ज करने के लिये हों प्रोटेस्ट करने के लिये हों—ऐसी मीटिंग में वह भाग नहीं ले सकता। उसको रेम्यूनरेशन, कंडीशन्स आफ सर्विस, कंडिशन्स आफ वर्किंग और लिविंग कंडीशन्स के बारे में मीटिंग करने का अधिकार जरूर दिया है, एक प्राविजन में उनके लिये रक्षा की गई है। लेकिन वह मीटिंग उनके एसोसियेशन के द्वारा होनी चाहिये—यह मैं मानता हूं पर इसी प्राविजन पर अब उन्हें संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई यह दूसरें रूल्स बना कर जिसमें उन्होंने यह कहा है कि आर्टिकल आफ एसोसियेशन स्पेसिफिकली प्रोवाइड होना चाहिये उसी के अंतर्गत उनको मीटिंग करने का अधिकार मिलेगा।

अब यह स्पेसिफिक प्राविजन यह इस नये संशोधन में से इसमे आया है और इसमें भी उन्होने यह कहा है कि वह अपने अधिकारो की रक्षा के लिये कोई मीटिंग करना चाहते है तो फिर इन्सपेक्टर जेनरल आफ पुलिस से परमिशन लेकर वह ऐसे मामले भी उसमें उठा सकते हैं जो कि स्पेसिफिक प्राविजन मे नही आता। अब यह एक बडा शब्द जाल है; इसमे से यह दिखायी देगा कि शायद और छूट देने की कोशिश की गई है। अगर यही मशा है तो मुझे पता नही लेकिन यह जो पहले रूल्स बनाये उसमे यह संशोधन करने की आवश्यकता हुई। अब वह स्पेसिफिक प्राविजन और उसमें आई० जी० पी० या उनके द्वारा किसी नुमायदे की इजाजत से उन मामलो मे मीटिंग करने की जो इजाजत दी गई है इस से यह लगता है कि हम लोग इस एसोसिएशन को जिसको हमने अप्रूव किया है एसोसिएशन के फक्शन्स जिसको हमने मजूर किया है जिसके अंतर्गत हम उनको काम करने का अधिकार देना चाहते है, उसमे भी हम कदम कदम पर, उसकी एक एक बात पर ऐसे रोडे, ऐसी बाधाए उपस्थित करना चाहते है कि एसोसिएशन जिस मतलब के लिये हमने बनाना मजूर किया, जिसके माध्यम से हम चाहते है कि उनकी वास्तविक कठिनाया, उनकी तकलीफे सामने आए, जो हमने स्वीकार किया है वह अपने उद्देश्य की पूर्ति नही करता।

मुझे खुशी होती अगर आज इस बहस को प्रारम्भ करते समय हमारे सामने जो खोसला कमीशन के अंतरिम सुझाव है उन अंतरिम सुझावो पर सरकार का कोई निश्चित मत हमारे सामने होता, तो मैं सरकार की नेकनीयती की इसमे दाद दे सकता था कि वास्तव में वह इन सारे लोगो की कठिनाईयां को हल करने के लिये सिन्सियर्ली, सीरियसली विचार करने के लिये तैयार हैं। दुःख इस बात का है कि इतना बडा आन्दोलन पिछले दिनो में चला—मैं उस आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन नही करता, मै यह जानता हू कि उसके अंदर वह डिफरेन्ट ट्रेन्डस पैदा नही होने चाहिये, क्योंकि वह विशेषाधिकार की सेवाए है, इसीलिये जिन सीमाओ मे बाध कर हमने एसोसिएशन बनाने की बात की है हम उसके समर्थन में हैं परन्तु इसका यह मतलब कदापि नहीं, उनके जीवन की आर्थिक समस्याओ पर उनकी लिविंग कंडीशन्स के बारे मे उनके घर के प्रश्न पर—आज उनका कुटुम्ब उनके साथ नही रह पाता उनकी तनख्वाहे आज झाडू देने वाले और चपरासियो के भी समकक्ष नही और उन्ही के साल्यूशन के लिये जो हमने ईमानदारी से कमीशन की नियुक्ति की थी आज गृह विभाग उन सारे अंतरिम सुझावों के प्राप्त होने के बाद भी महीने गजर जाय, वह एग्जामिन करते रहे, आज भी उन पर कोई निर्णय न हो सके, तो इस सारे संदर्भ मे ऐसा लगता है कि जो एक और आश्वासन इस बिल को पास करवाने के लिये हाथी जी ने दिया था कि : "There is no question of gagging their mouth." यह उन्होंने स्पष्ट रूप से इस विधेयक को पास करते समय एक मंशा सामने प्रकट की। मैं यह चाहता हू कि जो उन्होंने एक वास्तव में एश्योरेस दिया था इस हाउस को इस संसद् को कि पुलिस कर्मचारियो का मुह बंद नही किया जायेगा, उनके अधिकारो को प्राप्त करने के लिए उनको जकड़ा नहीं जायेगा, इस भावना का वास्तव में पालन होना चाहिये।

मुझे दुःख है कि अगर हम जो यह रूल्स बना रहे हैं, इन रूल्सो मे अगर एसोसिएशन बनाने की छूट रखी है तो उसका बनाते समय उसको मंजूर करते समय उसका एप्रूव करते समय आपने उसको पाबन्दियो मे सरकमस्क्राइब करने की कोशिश न की होती, तो बहुत सी बातें जो रूल्सो के द्वारा रखना चाहते है, उनको किसी तरह से वाजिब स्वीकार कर सकते थे। लेकिन एक बार

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

उन्हें इस एसोसिएशन बनाने का, उन्हें एसोसिएशन को सारे टर्म्स आफ रेफरेंस मे कार्य करने का दायरा निर्धारित कर लेते है । तो कोई कारण नही है कि हम अपने रूल्सो को बनाते समय उनके एसोसिएशन को नार्मल फक्शन न करने दे, वह मीटिंग कहा करेंगे, मीटिंग इस एसोसिएशन की मारफत मे इजाजत लेकर करें, अगर इस तरीके से चले, तो क्या हम इन सारी चीजों को रखकर इन सर्विसेज के दिमागो मे इस तरह का भाव नही पैदा कर देगे कि हम डिसिप्लिन के नाम मे पक्षपात नही कर रहे हैं । सर्विसेज मे डिसिप्लिन रखना चहिये, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह नही है कि जिस प्रकार के डिसिप्लिन की आप अपेक्षा करते हैं, वह उनको सब प्रकार के मानवीय जीवन से वंचित कर दे या उनके सारे मौरल को कुछ ऐसी पाबन्दियो मे डालने की कोशिश उस डिसिप्लिन के नाम पर करे, जिसमे उनको साधारण जीवन बिताने और अपनी सेवाओ को ठीक प्रकार मे निभाने मे उनका मोरल टूट जाए और उस डिसिप्लिन में आच आए ।

आज जहा डिसिप्लिन जरूरी है वहा हमे सारे रैंक एड फाइल के मोरल को भी बनाये रखना जरूरी है । उनकी भी कुछ समस्याए है और यह एसोसिएशन जिसको बनाने के बारे मे कई बार टालने के सिलसिले मे यह कहने की कोशिश की जाती रही कि उनके रिक्रिएशन के सबध मे या कुछ ऐसे मामलात हो सकते है, जो इस एसोसिएशन की मारफत आ सकते हैं । तो मै समझता हू कि हमने केवल रिक्रिएशन के लिए ही एसोसिएशन को नही बनाया है बल्कि उनकी कुछ वास्तविक कठिनाइया भी है और उनकी तमाम लिविंग और सर्विस कडिशन्स भी है । मुझे दुःख है कि हम रेक एण्ड फाइल मे डिसिप्लिन लागू करने के फैसले में इस बात का खयाल नही करे कि उनकी कठिनाइयो को दूर करने के लिये जो मालिक बनकर बैठे हुए है, वे उनके साथ डिसिप्लिन के नाम पर किस तरह का व्यवहार करते हैं ? वे अधिकारी प्रमोशन या किसी और चीज के सबंध मे क्या डिसिप्लिन के मुताबिक चल रहे हैं ? आज हम सारे नियमो मे क्या अपने फेवरेटिज्म से और अपने भिन्न-भिन्न प्रकार मे पेट्रोनाइज करने के रास्ते अपना कर उनके दिमाग में एक विशेष प्रकार की शका पैदा नही कर रहे हैं ? यह डिसिप्लिन एकधारी तलवार नही है, यह दुधारी तलवार है । अगर उनके सारे प्रमोशन्स, उनकी सारी नियुक्तियो मे, उनके सब प्रकार उपयोग करने मे अगर वह डिसिप्लिन लागू नही हो रहा है, तो हम केवल उनके रेक एड फाइल मे डिसिप्लिन का हथौडा दबाकर उनके अन्दर स्थायी रूप से एक असतोष का निर्माण करना चाहते है । यह कदापि उचित नही होगा । हम उन्हे एसोसिएशन बनाने दे या न बनाने दे, लेकिन हमने उनसे काम लेना है, क्योंकि हमे अपनी आतरिक व्यवस्था इन सब लोगो की मर्जी से, इन लोगो के सहयोग से लागू करनी है और वह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम भी उनके साथ उनकी कठिनाइयो को दूर करने मे कितना सहयोग देते हैं । इस कारण इस डिसिप्लिन को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि इस एसोसिएशन के काम करने मे, इस एसोसिएशन की मार्फत अपनी सारी चीजे रखने पर उन्हे एक एक कदम पर शक की निगाह से न देखे और उनके रास्ते पर बाधा उपस्थित करने की कोशिश न करे तथा उन्हे एसोसिएशन के क्षेत्र मे ठीक प्रकार से अपनी सब चीजे रिप्रेजेन्ट करने का अधिकार दे । यह निहायत जरूरी है कि उन्हे एसोसिएशन की मार्फत अपनी मागे रखने मे उनके ऊपर किसी तरह का फीयर कम्पलक्स नही होना चाहिये । अगर किसी ने एसोसिएशन की मार्फत आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, तो उन्हे चुन चुन कर विक्टिमाइजेशन का शिकार

बनाया जायेगा । इस प्रकार का भय उनमें नहीं रहना चाहिये । हमको इन रूलों मे गारन्टी देनी चाहिये कि उन्हें इस तरह से विक्टिमाइजेशन का शिकार नहीं बनाया जायेगा ।

आज जो पद्धति उनको अपने ग्रीवान्सेज रखने की है, वह यह है कि ग्रौर्डरली रूप में जहा सीनियर ग्राफिसरों का दरबार लगता है, उनके सामने वे अपनी शिकायते रखने है । इस ग्रौर्डरली रूप में अपने ग्रीवान्सिज रखना शेर के दाढ़ में हाथ डालने के समान है । ये बचारे जब वहां अपनी बात कहने जाते है, तो मुह जवानी अपनी बात कह देते है और उसका कोई रिकार्ड नही होता ह । उनकी मागों का वही पर समरी रिजक्शन हो जाता है और या फिर उनकी मांगों को ठुकरा देने की बात चलती है और इस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है । तो मै चाहूंगा कि नियम बनाते समय कम से कम इस बात का प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि वे जो कुछ शिकायत करते है, उसका कम से कम एक रिटन रिकार्ड मेन्टेन किया जाय जिससे यह मालूम हो सके कि उन्होंने क्या शिकायत की है । भविष्य में उन्हे अपनी शिकायत लिखित रूप में देने के लिए व्यवस्था की जाय और किस तरह से शिकायत डिस्पोज की गई, उसका रिकार्ड भी मेन्टेन किया जाय । यह कार्यवाही आपके ही अधिकारी करेंगे वे ही इसके संबध मे न्याय देंगे, लेकिन उसका एक रिकार्ड बने और वह मिनिस्ट्री के सामने आवे तथा उसके बारें में रिपोर्ट पबलिश हो । मैं समझता हूं कि इस तरह से अपने आप उनकी शिकायतों का एक्जीक्यूशन करने के बारे में एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन्ड तरीका आ जायेगा और जिन लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था पैदा की जा रही है उनकी ग्रीवान्सेज को सुनने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका आ जायेगा । उन्हें विशेष तौर से अपनी ग्रीवान्सेज रखने के लिए जिस तरह से विक्टिमाइजेशन किया जाता है, तकलीफ दी जाती है उसमें रिकार्ड सामने होने के बाद इस तरह का रिस्क घटेगा ।

पुलिस वालों के वैलफेयर की दृष्टि मे कई बार फंड बनते हैं और पुलिस का एक एक जवान उसमें कंट्रीब्यूट करता है । इसमें एसोसिएशन के प्रतिनिधि का समावेश किया जाना चाहिये ताकि उन्हें मालूम हो सके कि उनके फंड का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार के कामों मे इस्तेमाल किया जा रहा है । इस चीज के बारे में नियम बनाये जाने चाहिये ।

मै चाहता हूं कि जब आपने उन्हे एसोसिएशन बनाने का अधिकार दिया है, तो एक एक कदम पर शक की निगाह से चलने की कोशिश न करें और इन नियमों के माध्यम से स्प्रिट आफ दी एक्ट को खत्म करने की कोशिश न करें । इन सारे नियमो मे उन्हें इस तरह से गैग करने की मनोवृत्ति नही रखनी चाहिये । जब हमने उनको आश्वासन दिये तो कोई भी नियम इस तरह से नही बनाये जाने चाहियें जिससे वे अपने मुह या जबान से कोई बात ही न कह सके । ऐसे स्वीपिंग पावर्स इस एसोसिएशन के दायरे मे काम करने वालों के लिए बाधक सिद्ध होंगे और इस तरह से उन्हे सीनियर अधिकारियों के हाथ में नही सौपना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ मैं फिर इस मौके पर चाहूंगा कि वास्तव में जो उनकी लिविंग कंडिशन्स है, सर्विस कंडिशन्स हैं और जिनके लिए इतने बड़े जोर से ये सवाल उठाये गये हैं, जिन्हे सरकार ने भी स्वीकार किया है, उसमे गम्भीरता के साथ बहुत कुछ करने को है ।

मैं गृह-मंत्री जी से चाहूंगा कि इन सवालो को जल्द से जल्द हाथ में लेकर उन्हे सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे । हम अभी कंसिडरेशन स्टेज पर ही है और पता नही कि यह कंसिडरेशन की स्टेज कितनी लम्बी चलेगी । लेकिन यह जो असंतोष फैला हुआ है, आज

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इन सारे असंतोष के आधार पर एक विशेष प्रकार की समस्या पैदा करने के लिए तैयार बैठी हुई है। सरकार के लिए यह और भी जरूरी है कि जल्द से जल्द निर्णय लेकर सारे राहत फैसिलिटीज अमेनिटीज इन सर्विसेज एंड रैंक्स में पहुंचाने की कोशिश करे।

यह जो कंट्रिब्यूटरी फंड है, जिसका उपयोग पुलिस वालों की मदद के लिए, उनके घरवालों की मदद के लिए होता है, उसके डिसपर्सल में रिकग्नाईज्ड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी भागीदार बनाया जाय और उनकी सलाह से इस सारे धन का उपयोग हो तथा निम्नतर स्तर के कर्मचारियों को भी उसका लाभ मिले। इस तरह की व्यवस्था इसमें होनी चाहिये। जो रूल बने है उसमें मुझे इस मानवता का अभाव दिखलाई देता है और इसीलिए मैंने इन सारे कानूनों को रद्द किये जाने का प्रस्ताव रखा है। मैं चाहूंगा कि कि इन कानूनों को रद्द करके और इन नियमों को रद्द करके उस स्प्रिट को कायम किया जाय जिसके द्वारा हमने इस एसोसिएशन की मार्फत इन हजारों और लाखों लोगों का अपनी वास्तविक कठिनाइयों को प्रकट करने का एक वैधानिक मार्ग दिया है और उस वैधानिक मार्ग को हम अधिक से अधिक प्रभावी बनायें।

आखिर समस्याओं का इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा सेवा करने का दायरा है और उसमें हमारी सब प्रकार की सदिच्छाएं रहते हुए भी ऐसे लुके छिपे कोनों में जो ऐसे लोग है, जो वास्तव में दुखी है, उनके लिए हम यह सवाल खड़ा कर दे रहे है कि वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए अवैधानिक तरीकों से आवे, न कि एसोसिएशन के दायरे के अन्तर्गत आवे। जो आपने कानून और नियम बनाये, वे उनके मार्ग में बाधा उपस्थित करेंगे, ऐसी मंशा इससे झलकती है। इस कारण से ये नियम वापस लिये जाय और नये नियम बनाये जाय जिस में से पुलिस वालों के जिन कर्मचारियों के लिये हमने एसोसिएशन की व्यवस्था की वे भी उत्साहित हों इन इंस्टिट्यूशंस का उपयोग करने के लिये और इन्हीं को अपना माध्यम बनाये अपनी सब तकलीफों को सरकार के पास पहुचाने के लिये भी और प्रभावी माध्यम बनाये अपनी सारी कठिनाइयों को हल करने के लिये भी और इसी मंशा से मैंने यह नियमों को रद्द करने का प्रस्ताव रखा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इसको सही नुक्ते से देख कर इन नियमों को रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकार करेगी।

The question was proposed.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Madam, one will naturally sympathise with the police force which has to work under the most trying circumstances My hon. friend who has moved his Motion has enumerated some of their difficulties.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair]

These are the rules which are sought to be applied to the police in the whole of India and not in the Capital alone. In the Capital, in Delhi, there are additional difficulties that they have.

But I am wondering, when the Home Minister gave the assurance about allowing them to form an association, whether he did it after due consideration or just to tide over an emergent situation that emerged in Delhi when the police force of Delhi went on a strike and the Army had practically to be called out to keep order in the Capital of India. The police force had been surrounded in their living quarters when the negotions were going on. Whether the Government wanted to permit it or not, it is not known.

I had given certain Calling Attention Notices and asked several questions to which no clear answer was given. Now, we have this spectacle of some talks and negotiations with the representatives of the police after which this Bill and these rules have come. I, for one, do not understand how we can really allow a union to be formed of the type of a trade union in the police services The next step will be allowing such a union to be formed in the Defence Service, in the military and elsewhere Where will we go? This is not a very satisfactory state of affairs It is because of the failure to tackle the problem of the difficulties of the police on that occasion that matters went so far, and somehow, to tide over the difficulties when the Government were cornered, they had to give these assurances I am not at all happy about what happened then But the Government will have to deal with various situations and the rules and the laws that they propose to make must take into account all these and not what happened in the Capital City, in Delhi, at a certain time We have the example, if I may say so, of a very efficient, loyal police service in Bombay, well-disciplined, they have got very good training schools And I am glad that sometimes officers from there are brought to Delhi to train the police force here But I feel the material from which these men have been recruited, their basic training, their education, have not been of a standard commensurate with the type of duty they are expected to perform What is necessary is to raise the standard of recruitment of policemen all over India if we are to have a proper police force, where the police will not need to form a union, so that they will keep law and order and they will be satisfied and the Government will know how to deal with them That is going to take some time.

Sir, we have another situation in Calcutta at present. There is this picture of the gherao And I understand that when on one occasion, the Chief Minister who is also the Home Minister asked the police to tackle the problem and disperse the gherao, another Minister, perhaps more powerful, went and countermanded the order So, the gherao continues. Perhaps, some of the Ministers from Calcutta have been summoned to Delhi by the Prime Minister for a discussion on this matter Some of them were in the Central Hall I met them in the afternoon. That is another situation prevailing in Calcutta How will it be tackled?

In the Capital City of Delhi, we know that on several occasions policemen had been put under very trying conditions My mind goes back to a case where somebody's Fiat car was stolen and there was a bad accident. Sons of some high-ups were involved in that And the police officer went and told the owner of the car, "Why don't you settle it? We will get you a new car. Don't make any noise about it" Now, if this is the condition under which the policemen have to perform their duties in Delhi, what type of discipline do you expect to get from them?

Very recently a respectable house was invaded by some rowdies, whatever the occasion I am not trying to express my sympathy one way or the other I have in a sense according to what I feel, expressed a certain sympathy with the people of Israel. But I am misunderstood to feel that I have no sympathy with the people of the UAR People are people all over the world, and they are common people like us I have been once to Egypt I know that they are a simple agricultural people They need education, they need food, they need clothing, they need to improve their standards. But that does not mean that while we extend our hand of cooperation, we exchange students, we allow the Arab students to come here, we would allow them to behave in a nasty manner When that incident took place at No 1, Jan Path,

[Shri Dahyabhai V. Patel.]

the police came, And what did they do? They started advising people not to attend the function, Under pressure, one of the rowdies was arrested. If there is any doubt about it, I have a photograph with me of a person arrested and of a policeman sitting next to him. What did the police do? Did they produce him befoe magistrate for trial? Did they put him up for trial? No, Sir, Why? Because of interference from the high-ups. This is the type of difficult duty which the police have to do in this country. Therefore, they are entitled to all our sympathies. And if the police force is to be improved, these are the difficulties that you have to remove. The police should be allowed to do their rightful, legitimate duty without interference from the high- ups.

Now, in the Capital City of Delhi, there are other things also working. We have Members of Parliament, and some of them have very loud voices.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Like you.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: There are some men in your party, Dr. Sapru. I do not talk so often but you will agree that when I talk, I talk sense.

A few days ago, a Member who perhaps did not like my speech got up and said that the real organiser of this function, Mr. Ram Swarup of U.P. was some time back involved in a passport scandal, that he obtained his passport by impersonating or falsely using the name of a Member of Parliament. Sir, after this speech was made, the next day a letter came to the Chairman of the Rajya Sabha, the Vice-President of India, and a copy was sent to me. I sent a Short Notice Question on the 3rd June but the Home Minister has not condescended yet to answer that question though today is the last day of the session. The Chairman of our House was pleased to say:—

"I want to make it clear that Members who are not in a position to substantiate charges of the nature made in the present case, should not make such statements. Allegations and counter-allegations of this nature by Members detract from the dignity of Parliament."

Sir, I wish to say that in this particular case an allegation of this type is made on the floor of this House. What is the police doing? Did they follow it up or not? Was the man involved in a passport case or not? Did he obtain a passport under false representation? If such allegations have been made, and by a person who is found by the Prime Minister to be in the habit of making allegations without foundation, and found to be untrue, what is the remedy for that person? What does the police do in this case?

Sir, the police have a very difficult duty in this city. And any effort to make regulations or Bills of this type in the matter of policemen or making them have their unions is not going to work. I do not believe if this Government can allow a union of the type of a trade union Association is a different matter. Associations, meetings for social intercourse, for sports should be encouraged. The policemen should have their celebrations, their special days and sports when senior officers and, I believe, some Ministers also could grace the occasion They would know what type of sports their policemen excel in, what type of policemen do good work. Perhaps a little social contact with them on these lines would encourage the policemen to produce better results. But what can we do about the difficulties that the policemen have to work with in Delhi? Is there any solution? That is the question that I want to pose. I do not know whether this Government is able to find a solution to this

There are many, many problems facing this Government which it is not able to tackle and trying to tackle the problem by this slipshod method has brought in something much more

serious. The problems and the difficulties of the policemen should have been tackled long before the police thought of resorting to the method of forming a union and refusing to work. When the city of Delhi was without any police for two days and the military had to be called out what were the senior officers of the police force and the Department doing? That is where the fault lay. What was the Ministry doing? The fault is there and for which the policeman suffered.

Sir, I would like to reiterate again that if we are going to have a good police force and a better system of law and order, the recruitment of policemen from the bottom has to be better. He should have better remuneration. Why do we not learn from the example of the proverbial "London Bobby"? How is he recruited? How is he trained? What facilities does he get? Is it not for those reasons that you get so much order in that city? You can find anything there with his help. Any stranger can get the police help. Can we look forward to a day when we will have such a police force in this city?

Thank you

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं श्री भंडारी जी के प्रस्ताव का नहेदिल से समर्थन करता हू, जितना भंडारी जी ने अपनी वाणी से समर्थन नही किया उससे ज्यादा मैं अपने दिल, दिमाग और वाणी से समर्थन करना चाहता हूं ।

भंडारी जी ने बाद मे जो यहा का पुलिस आन्दोलन था उसके बारे मे कुछ बात कही कि वे उसके आल एसपेक्ट्स से सहमत नही ह । जरा गहराई मे हमको दिमाग के पीछे जाना है, वह कौन सा दिमाग है जो 12 दिसम्बर 196 के नियम बनाएगा और फिर वह कौन सा दिमाग है जो 14 अप्रैल 1967 के नियम बनाएगा । इन दोनों दिमागों का अध्ययन किया जाना चाहिए । मै इन दोनो दिमागों का अध्ययन करने के पहले आपके जरिए माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे लार्ड एडिनबरा के पदचिन्हों पर क्यों चलना चाहते है । 1857 में जब प्रथम सामन्तवादी क्रान्ति भारतवर्ष की नाकामयाब हुई तो भारत के पुलिस सगठन की तरफ से इसके बारे मे विवाद हुआ तो एक वाक्य उसने कहा है : "The Sepoy must be made to fear officers even more than an enemy" क्या यह वही दिमाग नही है लार्ड एडिनबरा का दिमाग आज के होम विभाग का दिमाग नही है, इसको जरा ठीक से देखा जाय, कि अपने अफसरों से मातहत इतना डरे कि देश का जो शत्रु है उससे भी उतना डरने की जरूरत नही है

श्री महेश्वर नाथ कौल (नाम-निर्देशित) आपने सब पुरानी बाते याद करा दी ।

श्री राजनारायण अब देखा जाय कि यह सब है क्या इसमें हम थोड़ा गान्धी जी को भी ले आते है । यह देश क्या गान्धी का मुल्क रह गया ?

श्री प्रकाश नारायण सप्रू आपका रह गया ।

श्री राजनारायण : हमारा भी क्या है । आज तो इस देश मे गुन्डो और लफगों का राज है, साहब का भी नही रह गया है, हमारा भी नही रह गया है । आज तो जो मंत्री है, बड़ा अफसर है, उसकी जो ख्वाहिश है वह, गविधान है, उसकी जो ह्विम्स है उन्ही का नाम ला एड आर्डर है । खूब अच्छी तरह से इनको परखिए। गांधी जी ने, श्रीमन् कहा था चानपुर के मामले को लेकर, गोली चल गई थी, उन्होंने कहा—'अगर इतनी हिसा के बिना भी राज्य का चलना मुश्किल है तो मै कहूगा कि सत्याग्रही शासन में न जाय' । जरा स्टडी करो इस वाक्य को और उसी के साथ-साथ अगर

[श्री राजनारायण]

इसको डेवलप किया जाय तो मामला बिलकुल सीधे साफ आता है ।

आज अनुशासन, अनुशासन की बात हो रही है तो मै जानना चाहूगा कि हिटलर के अनुशासन एटली के अनुशासन और स्टालिन के अनुशासन, मे कुछ फर्क है या इसके अनुशासन में फर्क नही है ? इस पर जरा गहराई से सोचा जाना चाहिए और मैं समझता हू कि फर्क है । एटली का अनुशासन, एक जनतंत्रीय प्रणाली पर चलने वाली सरकार का अनुशासन भिन्न होगा, एक तानाशाही, एक अधिनायक वादी प्रणाली पर चलने वाली सरकार का अनुशायन भिन्न होगा; इन तीनों का अनुशासन एक नही हो सकता। अनुशासन की परिभाषा बनानी होगी एक ढाचा बनाना होगा । आज कांग्रेस सरकार का अनुशासन क्या है ? माननीय मत्री जी को ऐसे नियम बनाने के पूर्व जरा पुलिस संगठन के इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए था । 1915 ई० में गवर्नमेंट आफ इडिया ऐक्ट में पुलिस शक्ति को सर्विस के रूप में माना था, मगर जब 1935 का ऐक्ट आया तो उसमे हालात बदल गये। 1935 के ऐक्ट मे पुलिस के स्वरूप को बदल दिया गया और उसे सिविल सर्विस से कुछ भिन्न माना गया, मगर 26 जनवरी 1950 को फिर पुलिस को सिविल सर्विस के रूप में हमारे संविधान में माना गया। बिना संविधान का परिवर्तन किये, बिना संविधान कोई तब्दील किये, इस तरह का जो नियम है वह कानून को भी रेप करता है कास्टीटयूशन को भी किडनैप करता है। इस नियम के अनुसार न तो कही ऐक्ट रह गया और न कास्टीट्यूशन रह गया । यह क्या है। 12 दिसम्बर 1966 के तीसरे रूल को जरा देखा जाय । वह यह है :

"*Additional purposes for which a member of a police-force not to participate in, or address, any meeting, etc*—No member of a police-force shall participate in, or address, any meeting or take part in any demonstration organised by any body of persons—

(a) for the purpose of protesting against any of the provisions of the Act or these rules or any other rules made under the Act; or

(b) for the purpose of protesting against any disciplinary action taken or proposed to be taken against him or against any other member or members of a police-force; or

(c) for any purpose connected with any matter pertaining to his remuneration or other conditions of service or his conditions of work or his living conditions, or the remuneration, other conditions of service, conditions of work or living conditions, of any other member or members of a police-force:"

यह रूल है। मै जानना चाहता हूं सदन के सम्मानित सदस्यों से कि यह रूल क्या है। यह रूल कहता है कि पुलिस फोर्स का कोई मेम्बर अपनी मांग के लिये अपनी सेवा की शर्तों के लिये जिस हालत में रखा गया है उस हालत के विरोध के लिये न तो कोई मीटिंग कर सकता है, न कोई डिमास्ट्रेशन कर सकता है, न कही कोई चीज बोल सकता है। यह किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नियम होगा। मै चाहता हूं कि गाधी जी को साक्षी कर अपने ईमान और जनतंत्र को साक्षी कर बताये इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्री सरकार का नियम है।

श्री अकबर अली खान (आंध्र प्रदेश) : आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज के पुलिस के रूल्स रेगुलेशन्स का मुलाहिजा फर्मा चुके है।

श्री राजनारायण : जी हां, बैठिये। मैं पुलिस आन्दोलन में रह चुका हूं, मै जेल भी जा चुका हू। मै आपके जरिये श्री अकबर अली खान को बता दू कि हमारे इसी मुल्क में 11 सूबों में पुलिस एसोसियेशन है। मैं श्री अकबर अली खान को बताता हू कि जब श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे यहा वर मंत्री थे तो हम बनारस में गिरफ्तार हुए, हमारे साथ और गिरफ्तार हुये। यह मसला उठा कि पुलिस का संगठन बनना चाहिये या नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि नही। उस वक्त आचार्य नरेन्द्रदेव जिंदा थे, काशी विश्वविद्यालय के वाइस-चांस्लर थे, आचार्य नरेन्द्र देव जीने लाल बहादुर शास्त्री जी को पूरा ब्रिटिश पुलिस सिस्टम लेकर के भेजा और लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा कि तुम काशी विद्यापीठ के स्नातक हो, तुम कह क्या रहे हो। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस संगठन है, वहां पुलिस संगठन बना।

श्री एम० पुरकायस्थ (आसाम) : एसोसियेशन है :

श्री राजनारायण : नाम के झगड़े में न जायं, एसोसियेशन कहे, सगठन कहे, पुलिस कर्मचारी सघ कहें उनसे हमें कोई मतलब नही, मगर हम तथ्य बता रहे हैं। आज पुलिस संगठन राज्यों में है। वह अपनी मीटिंगे करते हैं अपनी मागों के बारे में बोलते है। अभी तक केवल एक झगड़ा उठना था कि पुलिस के संगठन के पदाधिकारी पुलिस सेवा में जो आज है वही रहें या आउट-साइडर रहे। हमारा कहना था कि पदाधिकारी आउटसाइडर रहे। आउटसाइडर पदाधिकारी नहीं रहे इस पर बहुत बहस हुई है। जो सेवा में इस समय मौजूद है उसकी अंगली दबती है और उसकी अंगुली को दबा कर जो कलेक्टिव माग होती है उन मांगों को तिरस्कृत करने की साजिश बड़े अफसर किया करते है। आखिर लखनऊ में जो यह झगड़ा चला, जहा आर्मी और आर्मड फोर्स गई उसका कारण क्या था। वहां पर उसका चेयरमैन एक्स-पुलिसमैन था मगर उन्होंने कहा कि एक्स-पुलिसमैन से भी हमारे लिये खतरा है। आज चाहे आई० जी० हो चाहे वह डी० आई० जी० हो, चाहे वह एस० एस० पी० हो, चाहे एस० पी० हो, जो उसके नीचे है वह उसका खुदा बना हुआ है। जरा श्रेणी देखी जाये। जो पुलिस का छोटा जवान है उसका खुदा हैड कान्स्टेबिल है, हैड कांस्टेबिल का खुदा छुटका दरोगा है, छुटका दरोगा का खुदा बड़का दरोगा है, बड़का दरोगा का खुदा सर्किल इंस्पेक्टर है, सर्किल इंस्पेक्टर का ए० एस० पी० है, ए० एस० पी० का एस० पी० है, एस० पी० का एस० एस० पी० है, एस० एस० पी० का डी० आई० जी० है और फिर डी० आई० जी० का आई० जी० है। एकदम सीढ़ी लगी हुई है और एक का खुदा दूसरा बना हुआ है।

पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा : (उत्तर प्रदेश) : डि० वाई० एस० पी० तो रह गया।

श्री राजनारायण : उसको भी जोड़ दो।

तो मै बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ा चिन्तित हो कर, पूछ रहा हू कि यह क्या है। अनुशासन रहेगा या अनुशासन नहीं रहेगा। कोई भी सरकार जो आज यहां की पुलिस की ज़बान को बन्द करा कर के अनुशासन रखना चाहेगी वह अनुशासन नही रख पायेगी, उसमें उफान आयेगा, उसमे विस्फोट होगा जो भावनायें दबाते है वह समझें कि भावनायें क्या है। जैसे कि दूब है, जब जेठ की दुपहरी आती है तो उसकी आग में वह झुलस जाती है मगर जरा से बरसात के पानी के पड़ने पर लहलहा जाती है उसी तरह से भावनायें है। आज श्री चव्हाण साहब

[श्री राजनारायण]

और श्री शुक्ला साहब समझते होंगे कि पुलिस आन्दोलन को दबा दिया लेकिन मै कहना चाहता हू कि यहां का पुलिस आन्दोलन दबा नही है, यह उस बरसात के पानी को देख रहा है, और जहा बरसात का पानी पडा तो इतनी तेज़ी से भभकेगा कि उस भभकने में पता नही कौन-कौनसी ताकतें जल कर क्षार हो जायेंगी। इसलिए मै एक चेतावनी के रूप मे कहना चाहता हूं। श्री भडारी जी को मुबारकबाद देता हूं कि इन के नाम से यह प्रस्ताव अच्छा आया, मै इनको धन्यवाद देता हूं, इस प्रस्ताव को माने और इस प्रस्ताव को मान कर के इन नियमो को हमेशा के लिये वापस ले। कायदे के अनुसार हमने उसमे भाग लिया था जब यहा श्री हाथी जी बोले थे, भंडारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहा पर आश्वासन दिया गया था कि हम संगठन के हक को छीनना नही चाहते,सरकार उनके भाषण की स्वतन्त्रता का अपहरण करना नही चाहती,मगर यह क्या है। इस पवित्र आदरणीय सदन मे सरकार की ओर से जो वायदा किया गया था उन वायदों की इन नियमो के जरिये यह सरकार हत्या कर रही है, उन वायदों को खत्म कर रही है, कत्ल कर रही है। क्या यह सदन का अवमान नही है।

श्रीमन्, आप नियमो और कानूनो के ज्ञाता हो, मै विनम्रता के साथ आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार ने इस आदरणीय सदन को आश्वासन दिया और उसकी आत्मा को और उसकी शक्ति को नियमो के जरिये बदल कर के खत्म कर दिया जाय, क्या यह सदन का अपमान नही है। इससे बढ़ कर मै समझता हू कि सदन का अवमान और कोई हो नही सकता और यह नियम शुद्धतः इस सदन का अवमान करता है क्योंकि सरकार की ओर से एक वायदा किया गया था उस वायदे को सरकार ने हटा दिया और कानून मे जितनी ताकत, जितनी शक्ति और जितनी सहूलियत पुलिस सगठन के बनाने में दी गई है उसको भी इस नियम और उपनियम के अन्दर ले लिया गया। स्वाहा।

अब आगया अप्रैल, दिसम्बर और अप्रैल के बीच चार महीने होते हैं कि नही रूस की क्रान्ति कब हुई थी? 1917 की फरवरी मे हुई थी। इसके बाद आ गया अक्टूबर की क्रान्ति, लेनिन वाली। अब एक तो दिमाग आ गया दिसम्बर, दूसरा दिमाग आ गया अप्रैल। अब अप्रैल मे क्या कहते है? अप्रैल में कहते है अब हम पढ़े क्या, भाषा की ही केवल तबदीली है.

"Provided nothing contained in clause ('e) shall preclude a Member of a Police Force from participating in a meeting which is convened by an Association, of which he is a Member and which has been accorded sanction under sub-section (j) of section 3 of the Act."

यह अप्रैल में है, यह अप्रैल मे इम्प्रूवमेन्ट है। लेकिन यह इम्प्रूवमेन्ट देखने में है वस्तुत. यह इम्प्रूवमेट नही है। यह भाषा मे इम्प्रूवमेट है एक हाथ से थोड़ा दिया दूसरे हाथ से लिया। फिर क्या कह दिया :

"Provided that the Inspector-General of Police may, by general or special order, having regard to the objects of the meeting, and other relevant factors, permit any meeting."

जब तक इन्सपेक्टर जनरल साहब बहादुर इनको मीटिंग करने की इजाजत नही देंगे, तब तक ये मीटिंग नही कर सकते। अब ज़रा सदन के माननीय सदस्य समझ लें कि इन्सपेक्टर साहब बहादुर क्या उनको इजाजत देंगे। जैसा कि हम कहते है वही का पुलिस का इन्सपेक्टर हो या एस० एस० पी० हो या एस० पी० हों श्रीमन् यह तो आप जानते ही हैं कुछ लोग कहेंगे कि तुम अपनी ही बात कहते

हो--क्योंकि हम समझते है कि हम से ज्यादा बार भारतवर्ष में कांग्रेसी राज में कोई जेल नहीं गया , तीस बार हमें जेल हो गई कांग्रेसी राज में । तो हर बार पुलिस का मुकाबला पड़ता है । यानी पुलिस का अनुशासन क्या है ? एक दरोगा है--उस दरोगा को इनाम भी मिला है प्रेसीडेन्ट का--वह काशी विश्व-विद्यालय के पास रात मे थाने के सिपाहियों को ले जाता है और कहता है कि चलो, थोड़ी सी छूछी फायर कर दो और छूछी फायर करवाता है, और कुछ दूध ले जाने वालों को पकड़ कर ले आता है और कहता है देखो, हमने डकैतों को पकड़ लिया है। अगर ऐसे दरोगा के विरुद्ध पुलिस का सिपाही हाथ उठाए तो क्या हर्ज की बात है ? कौन ऐसा दरोगा के विरुद्ध अनुशासन की बात करेगा । हर जगह यह बना हुआ है। यही मैंने सदन के सम्मानित सदस्यों को बताया है, और शुक्ल जी भी जानते है, वह जो अलंकार लिमिटेड कम्पनी है, मुझे बताया गया है यहां के नागरिक मोर्चे की ओर से कि वह जो अलंकार कम्पनी है जो कि एक नक्शा बना रखे हैं . . . यहां मै एक बात को जानकारी करा दू कि कल रात मुझे मालूम हुआ, कि पजाब सरकार ने उनको यह लिख दिया है कि इनके पास जाच से मालूम हुआ है कि कहीं प्लाट नहीं है; नकशे पर ही प्लाट है, इससे कोई रोजगार, कोई सौदा, नहीं करे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : राजनारायण जी, आपको मै बता दू कि 15 मिनट का समय हो चुका है ।

श्री राजनारायण : आप घंटी बजा दिया कीजिये, हम समझ जायेगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : घंटी बजाना पसंद करते हैं तो लीजिये यह घंटी बजा दी। (*Time bell rings*).

श्री राजनारायण : हम समझते है पहली घंटी बजती है तो दस मिनट, दूसरी बजती है तो 15 मिनट ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : नहीं ऐसा नही ।

श्री राजनारायण : खैर, जितना हमें कहना था कह दिया है । हम फिर इस बात को सफाई के साथ कहना चाहते हैं । मैं चाहता हूं कि श्री शुक्ल इन नियमों को आज यहां वापस कर लें और एक दो दिन में हम लोग बैठे, सचमुच हम गंभीरता से बैठें, आखिर शुक्ल जी भी आदमी हैं, उनके दिल मे भी प्रेम होगा पुलिस वालों से, आखिर उनके दिमाग को नरक कुंड के किसी कीड़े ने चाट कर चलनी कर दिया जिससे ऐसा आदमी यह बना । तो हम सुधारना चाहते है । ये हमारे साथ बैठें, हम उनके साथ बैठें और दूसरे लोग बैठें, सोच समझ दस पंद्रह दिन बैठें कि पुलिस संघर्ष कैसे चला क्योंकि मुल्क को न शुक्ल जी खराब करना चाहते है न राजनारायण खराब करना चाहते है, न भडारी खराब करना चाहते हैं । समस्या का समाधान होना चाहिये । कैसे समाधान हो ? समस्या का समाधान करने के लिये आपस मे विचार विनिमय की नितात आवश्यकता है । पढो, तमाम दुनिया की तवारीख पढो पुलिस आंदोलनों को पढो । मुझे हैरत है, श्रीमन्, कि श्री रामानन्द तिवारी, जो पुलिस आन्दोलन का कुशल नेतृत्व कर चुके है और आज पुलिस विभाग के मिनिस्टर है बिहार में, रामानन्द तिवारी यहां आये पिछले पुलिस आन्दोलन के समय में . . .

श्री अकबर अली खान : आप पहले फरमा चुके ।

श्री राजनारायण : सुनिये, हल्ला न करे अकबर अली साहब । कांग्रेस की मीटिंग में (*Time bell rings*) जाना है तो उनको छुट्टी दे दो चले जांय । हल्ला मत करो ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव): राजनारायण जी जो कुछ कहना हो मुझ से कहिये ।

श्री राजनारायण : हां मैं आपसे ही कह रहा हूं इनको छुट्टी दे दीजिये । एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि राज्य सभा में कुछ उमर के लोग आएं इसका भी अनुशासन होना चाहिये क्योंकि राज्य सभा का अपना खुद का काम है । ये बेचारे लोग आते है तो थक जाते है, जहां 5 बजे इनका अपना नियम होता है कि घर जाकर अपना कुछ नाश्ता पानी करेंगे इसलिये कहते है जल्दी भागो जल्दी भागो । अरे हम लोग भी हैं, हम लोग तो जवान हैं, अकबर अली साहब तो बुड्ढे हो गये हैं, उनको ज्यादा खायें तो पचेगा नहीं । वे हल्ला क्यों करते हैं ।

मैं बहुत ही चिंतित हो कर कहता हूं और मैं दिभाग के बैकग्राउंड को पढ़ना चाहता हुं सही तरीके से । इसलिये मैं श्री विद्याचरण जी शुक्ल से अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि हे विद्याचरण जी, आप विद्या की शरण मे जाओ, विद्या की शरण में जाकर विद्या को चरण का दास मत बनाओ बल्कि विद्या की शरण में जाओ और विद्या शरण मे जाकर इस नियम को तत्काल, फौरन, अपने यहां से हटाओ, तमाम विरोधी दलों का सम्मेलन बनाओ, जो तमाम बड़े बड़े और लोग, जानकार हैं, उनको बुलाओ, और समझो कि इस समय अजीब हालत पैदा हो गई है चाहे पुलिस हो व चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे वह राज्य कर्मचारी हो, वगैरह, सबके बारे में एक सम्यक व्यापक दृष्टिकोण लेकर कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये । आज मैं पढ़ रहा था बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर का, हमारी पार्टी का ही लम्बा चौड़ा बयान आया विद्यार्थिओं के लिये कि भाई घेराव न करो मुजफ्फ़रपुर में । हमने कहा, भाई समस्या का समाधान करना होगा, यानी हमको अंग्रेजों की सूरत से नफ़रत नही थी, हमको अंदाज़े कुमत से नफ़रत थी अगर वही अंदाज़े हुकुमत है जो अंग्रेजों की थी वह कांग्रेस की है तो कांग्रेस से नफ़रत है, वही अंदाज़े हुकुमत जो कांग्रेस की थी संयुक्त विधायक दल की है तो संयुक्त विधायक दल से नफ़रत है, वही अंदाज़े हुकुमत जो संयुक्त विधायक दल की अगर एस०एस० पी० की है तो एस०एम०पी० से भी नफ़रत है ।

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): कब तक होगी ?

श्री राजनारायण : जब होगी, चार महीने पहले संयुक्त विधायक दल के बारे मे बोल दिया था कि *(Time bell rings.)*

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव): राजनारायण जी, तीसरी घंटी बज गई ।

श्री राजनारायण : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर हमारे इस साधु सुझाव से विद्याचरण शुक्ल के मस्तिष्क मे कोई प्रभाव पड़ा तो हम अपने को धन्य समझेंगे और सदन के सम्मानित सदस्यों को और खास कर अपने अकबर अली खान साहब को आपके जरिये धन्यवाद देंगे कि वे यहां बैठकर 6 बज कर 10 मिनट पर भी, थकान की हालत पर भी हमारा संशोधन माननीय मंत्री से मनवाने में हमारी इमदाद करें ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Mr. Vice-Chairman, Sir, this question regarding Delhi Policemen has been raised in this House from time to time.

श्री राजनारायण : हिन्दी में नहीं बोलोग ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Very many times, we have indicated what we are doing for the welfare of the Delhi Policemen. We have also indicated what was the reason why some political elements entered the sphere of Delhi Policemen, vitiated the entire atmosphere and brought about the very tragic happenings. So I do not propose to go into all these things and I want to restrict my reply to mainly the points raised by hon. Members regarding the rules which are under discussion.

The hon. Member, Shri Bhandari, has said that certain assurances were given by my predecessor in office while he introduced this Police Forces Bill in this honourable House. The first assurance that was quoted was regarding the right of the policemen to present their grievances to the authorities. I beg to submit that this assurance has been amply fulfilled. Their Sangh has been duly recognised One of the purposes of this Sangh is to canalise and to present the legitimate grievances of policemen to the authorities who are capable of solving those grievances and to promote their welfare. The second assurance of the previous Minister in the Ministry of Home Affairs which was quoted was that there would not be any gagging of policemen. I beg to state that there has been no gagging of policemen Whenever they want to say anything about their own welfare or about their service conditions or whenever they want to say anything legitimate, there is no question of gagging them They have full freedom for saying these things to their authorities and nobody has restricted them in this right. But if that freedom of speech is interpreted to mean the raising of slogans or the making of political speeches, inflammatory speeches, then it can be said that these things have been stopped. I do say that these things have been stopped because they are not in conformity with the discipline that every police force in this country has to maintain.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Not only in this country, but in every country.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Another point that was raised by Shri Bhandari was that these rules obstruct the legitimate functioning of the association which has been duly approved by the Government. Sir, may I submit that these rules not only do not obstruct the functioning of this association, but they are meant to facilitate the proper functioning of the association. As you know, the Act that was passed by this House only provides the basic structure of the scheme. The details of the functioning are regulated by these rules and these rules, if I may say so, are meant to spell out the way the association will function for the betterment of the police personnel themselves.

Some hon. Members have said that the ordinary life and morale—I think it was Shri Bhandari—should not be disrupted by the use of these rules which, in his opinion, were meant to do so. I have already submitted that these rules have a completely different purpose. Their purpose is to facilitate the proper and disciplined working of the police force. As hon. Members know, several State Police Forces have their associations and the activities of those associations are mainly welfare activities and this Sangh which has been recognised in the Union Territory of Delhi has also to function for the welfare of the police personnel Hon. Members also know that the rules of this association were agreed upon by the members of the Delhi Police Force Their representatives had discussions with the officers of the Delhi Police Force and both of them agreed upon the constitution, functioning and everything and after this agreement was achieved the Government accorded them the necessary recognition As the House

[Shri Vidya Charan Shukla.]

knows, this association was functioning well and we were looking forward to a good cooperation between the officers, the men of the Delhi Police Force and the Government. But some political elements intervened and the whole situation was vitiated.

As far as the demands of the policemen go, we have submitted before this House several times the actions that we have taken to promote their welfare. We have taken some urgent action about their housing. We have taken some *ad hoc* action about their various other grievances which we thought should be looked into and should be removed even before the report of the Khosla Commission was submitted to us and before we took decisions on those recommendations. We are very seriously examining the interim report of the Khosla Commission and I hope we will be able to take decisions on those recommendations soon.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI: Could you indicate any specific time?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It would be very difficult to indicate any specific time except to say that whatever decisions we may take they will be for the benefit of the policemen.

Shri Rajnarain has raised the point that these rules are against the Constitution and against law. I may point out to the hon. Member who is a very well-read person, that article 33 of the Constitution provides:

> "Parliament may by law determine to what extent any of the rights conferred by this Part shall",

That means Part III of the Constitution—

> "in their application to the members of the Armed Forces or the Forces charged with the maintenance of public order, be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them."

And under this article of the Constitution several laws have been made by this Parliament and this Act which has been passed recently is the latest in this series. So there is nothing unconstitutional in these rules and as I have submitted, these rules have been made in pursuance of our policy to promote the welfare of policemen and so I appeal to this House to accept these rules and not to accept the motion moved by Shri Bhandari.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

> "That in pursuance of sub-section (2) of section 6 of the Police-Forces Restriction of Rights) Act, 1966, This House resolves that the Police Forces (Restriction of Rights) Rules, 1966, published in the Gazette of India with the Ministry of Home Affairs Notification (G.S.R. No. 1892) dated the 12th December, 1966, and laid on the Table of this House on the . . .

श्री राजनारायण: इनका मोशन है, तो क्या इनको रिप्लाई देने का अधिकार नहीं है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Have you to say anything?

श्री राजनारायण : हां, हां। उनको भी देना है और मुझे भी देना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): No, no. You have nothing to say. But Mr. Bhandari did not rise up.

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो पुलिस एसोसिएशन बना है, उसके जितने रूल्स और बाईलाज हैं, सब चीजें स्वीकार कर ली गई हैं। मैं समझता हूं कि उसमें इस बात की स्पष्ट

गुंजायश है कि कोई भी आदमी, कोई भी राजनैतिक दल से सबंध रखने वाला आदमी उसकी सभा में नहीं आ सकता है। इतना कहने के बाद कि यह पोलिटिकल स्पीच है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह एसोसिएशन जिसका सबंध किसी राजनैतिक दल से नहीं है,हो सकता है, उसमें किसी राजनैतिक दल का आदमी शामिल नहीं हो सकता है, अगर उसी एसोसिएशन का सदस्य अपनी बात को रखना चाहता है एसोसिएशन के सामने तो फिर यह पोलिटिकल स्पीच का हव्वा इसके साथ क्यों खड़ा किया जाता है।

श्री विद्याचरण शुक्ल वहां पर पोलिटिकल स्पीच देते हैं।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी एसोसिएशन का आदमी जिसका किसी भी राजनैतिक पार्टी से कोई सबंध नहीं है वह वहां पर कोई भी चीज बोले, तो क्या आप उसको पोलिटिकल स्पीच करार देंगे ? इस तरह से तो आप एक ठप्पा लगाना चाहते हैं और इसका मतलब यह हुआ कि एसोसिएशन बनने के बाद भी, इतनी इस्क्रीनिंग करने के बाद भी उसके नियम, उपनियम स्वीकार करने के बाद भी आप उसका एसोसिएशन में बोलने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। जहां तक पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन्स का सवाल है मैं समझता हूं कि इस एसोसिएशन के काम से और पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन किसी सवाल पर क्या एटीट्यूड लेती है और पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन अपने अपने दायरे में इनकी मांगों का समर्थन किस प्रकार से करती है ये रूल्स तो उनके पासंग में भी नहीं जा सकेंगे और ये रूल्स उनको अफेक्ट नहीं करते और इस कारण से जो राजनैतिक दल हैं . .

श्री राजनारायण : भंडारी जी, जरा एक स्पष्टीकरण कर दीजिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M P. BHARGAVA): No, no, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : He has yielded the floor to me. देखिये पार्लियामेंटरी प्रासेस में इनको आप से आर्डर लेकर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह इनका अधिकार है और यह ईल्ड कर गये है।

भंडारी जी से यह मैं जरा जानना चाहता हूं कि पोलिटिकल स्पीच का मतलब क्या है। यह चाहे भंडारी जी समझायें, चाहे सरकार समझाये। धार्मिक स्पीच होनी चाहिये या नहीं जैसे .

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी
सो नृप अवस नरक अधिकारी"

यह रामायण का दोहा है।

"मैं तब दसन तोरिब लायक,
आयुसु मोहि न दीन्ह रघुनायक।
असि रिस होति दसौं मुख तोरौं,
लका गहि समुद्र मह बोरौं।"

अगर पुलिस कमचारी इस रामायण की चौपाई को पढ कर अपने धर्म को कहें कि अन्याय को सहन करना अन्याय है तो क्या यह पोलिटिकल माना जायेगा या धार्मिक माना जायेगा, यही मैं स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। धर्म और राजनीति का समन्वय है, इसको सरकार समझे।

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी . मैंने भी इसी लिये यह निवेदन किया कि जब एक एसोसिएशन आपने बनाने की इजाजत दे दी है, कोई बाहर का आदमी उसमें भाग नहीं ले और फिर एसोसिएशन के काम में उनकी कौन सजा होनी चाहिये कौन-सी नहीं होनी चाहिये, इन सारे नियमों को

[श्री पुन्द : सिंह भंडारी]

रोकने के लिये, इन सारी पाबन्दियों को लगाने के लिये जो नियम आप बना रहे हैं, वे गैरवाजिब हैं। जहां तक बाकी राजनैतिक संगठनों का सवाल है न वे नियम से बंधे हैं और न आप उनको बांध सकते हैं। यह बात अलग है कि कौन-सा राजनैतिक दल इस दायरे में किस तरीके से चलना चाहता है। यह उसके सोचने का सवाल है। आप उसके लिये कोई नियम निर्धारित नहीं कर सकते। इस कारण से इन रूल्स में इस तरह की एक भावना लेकर के सब प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं, यही मेरा इसमें आरोप था और मैं समझता हूं कि मेरा आरोप सही सिद्ध हुआ है कि आपने ज़बरदस्ती वहां की साधारण चीज़ों को राजनैतिक चश्मे से देख कर यह कानून यह नियम बनाने की कोशिश की है। इसीलिये मेरी मांग है कि यह नियम आप रद्द करिये। एसोसिएशन बनाने का जब आपने अधिकार दिया है तो उसकी व्यवस्था उनको ठीक प्रकार से करने की इजाज़त दीजिये।

आपने हाउसिंग के बारे में एक रकम मंजूर की, उसको एक अर्सा हो गया, कितनी मात्रा में मकान बने और उससे किस हद तक उनको सुविधाएं प्राप्त हुई। इस संबंध में सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। एक बार एक रकम मंजूर हो गई। उसी को वर्षों तक दोहराते चले जायें और बाकी किसी सवाल को सुलझाने की कोशिश न करें, यह उनकी समस्याओं का समाधान करने की व्यवस्था एकदम नहीं है। अभी भी मैंने चाहा था कि आगे उस खोसला कमीशन की रिपोर्ट के लिये अगर आप कोई निश्चित समय निर्धारित करते तो लोगों को भी विश्वास करने के लिये अधिक अवसर मिलता। इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो भी कदम लेंगे, वह उनकी भलाई के लिये लेंगे, मगर उनकी भलाई कब होगी, इसका जवाब आप ही दें और इसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं फिर चाहूंगा कि इन नियमों को रद्द किया जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

"That in pursuance of sub-section (2) of section 6 of the Police Forces (Restriction of Rights) Act, 1966, this House resolves that the Police Forces (Restriction of Rights) Rules, 1966, published in the Gazette of India with the Ministry of Home Affairs Notification (G.S.R. No. 1892), dated the 12th December, 1966, and laid on the Table of this House on the 7th April, 1967, be annulled.

This House recommends to the Lok Sabha that the Lok Sabha do concur in this motion."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The House stands adjourned *sine die*.

The House then adjourned *sine die* at twenty-five minutes past six of the clock.

GMGIPND—RS—909 RS—22-2-68— 620.